



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1548]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No.1548]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASHADHA 13, 1935

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2013

का.आ. 2006(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में 1 मार्च, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 466(अ.) दिनांक 1 मार्च, 2011 में निम्नांकित संशोधन करती है, यानी:-

उक्त अधिसूचना में -

(1) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य' नामक शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"1.	डा. के. एस. डांगी, महानिदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।	सदस्य"
-----	---	--------

(2) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 6 और उनमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"6.	डा. बी. अशोक, उप कुलपति, केरल पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुकोटा	सदस्य"
-----	--	--------

(3) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (च) के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा नामित सदस्य' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"13.	डा. आर. एस. शर्मा, अध्यक्ष भारतीय पशुचिकित्सा संघ, 27, गायत्री नगर 'बी', महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर	सदस्य"
------	---	--------

(4) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा नामित सदस्य' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"14.	डा. बी. सरवनम, अध्यक्ष, तमिलनाडु पशुचिकित्सा परिषद, चेन्नई।	सदस्य"
------	---	--------

(5) 'धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (झ) के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा नामित सदस्य' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-

"52.	डा. अशोक शर्मा, अध्यक्ष, पंजाब पशुचिकित्सा संघ, लुधियाना।	सदस्य"
------	---	--------

[फा. सं. 52-40/2009-एलडीटी(वीसी)]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 466(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :

1. सं. का.आ. 2452(अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2012
2. सं. का.आ. 1457(अ), दिनांक 05 जून, 2013

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2013

S.O. 2006(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (6) of section 3 read with section 7 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 466(E), dated the 1st March, 2011 published in Part—II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extra-ordinary dated the 1st March, 2011, namely:-

In the said notification,—

- (i) under the heading 'Members nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of section 3', for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"1.	Dr. K.S. Dangi, Director General, Department of Animal Husbandry, Government of Haryana, Chandigarh.	- Member.”;
-----	--	-------------

- (ii) under the heading 'Members nominated by the Central Government under clause (b) of sub-section (3) of section 3', for serial number 6, and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"6.	Dr. B. Ashok, Vice Chancellor, Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Pookot.	- Member.”;
-----	--	-------------

- (iii) under the heading 'Members nominated by the Central Government under clause (f) of sub-section (3) of section 3', for serial number 13, and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"13.	Dr. R.S. Sharma, President, Indian Veterinary Association, 27, Gayatri Nagar, 'B' Maharani Farm, Durgapur, Jaipur.	- Member.”;
------	--	-------------

- (iv) under the heading 'Members nominated by the Central Government under clause (h) of sub-section (3) of section 3', for serial number 14, and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"14.	Dr. Saravanan, President, Tamil Nadu Veterinary Council, Chennai.	- Member.”;
------	---	-------------

- (v) under the heading 'Members nominated by the Central Government under clause (i) of sub-section (3) of section 3', for serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"52.	Dr. Ashok Sharma, President, Punjab Veterinary Association, Ludhiana.	- Member.”.
------	---	-------------

[F. No.52-40/2009 – LDT (VC)]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 466 (E), dated the 1st March, 2011 and subsequently amended *vide* number:—

1. S.O. 2452 (E), dated the 11th October, 2012; and
2. S.O. 1457 (E), dated the 5th June, 2013.